न्यायालय विशेष, न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बलरामपुर।
परिवाद संख्या 102/2021
कम्प्यूटरीकृत संख्या–54/2021
सी0एन0आर0नं0 यू0पी0बी0पी0 010021392021
सीतापती बनाम राजेन्द्र आदि
आदेश

दिनांक–18.07.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। विगत नियत दिनांक को परिवादिनी सीतापती के विद्वान अधिवक्ता को परिवाद पत्र पर सुना जा चुका है।

परिवादिनी की ओर से विपक्षीगण राजेन्द्र, ननकने तथा बल्ले के विरूद्ध परिवाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति ''चमार'' की वृद्ध महिला है। प्रार्थिनी के घर के सामने आबादी की जमीन है, जिस पर परिवादिनी का कब्जा व दखल है तथा परिवादिनी उक्त जमीन का उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। परिवादिनी के कब्जे वाली जमीन पर अक्सर बरसात में पानी भर जाता है जिससे परिवादिनी के आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिनांक 02.08.2021 को काफी बरसात होने के कारण उस जमीम पर काफी पानी भर गया था जिससे परिवादिनी उक्त जमीन पर आने जाने के लिये पास में रखे ईट को बिछाने लगी, तभी विपक्षीगण राजेन्द्र व ननकने पुत्रगण टिम्मल निवासीगण ग्राम गोपाली धौराही, थाना महाराजगंज तराई, जनपद बलरामपुर तथा बल्ले पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना महाराजगंज तराई, जनपद बलरामपुर आकर परिवादिनी को ईंट बिछाने से मना करने लगे तथा परिवादिनी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहने लगे कि यह तुम्हारी जमीन नहीं है, इस पर खड़न्जा मत लगाओ यह मेरी जमीन है जिसका विरोध करते हुए परिवादिनी ने कहा कि यह आबादी की जमीन है जिस पर मेरा कब्जा है, मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, जिस पर विपक्षीगण आमादा फौजदारी हो गये तथा परिवादिनी को मां बहन की भद्दी भद्दी जातिसूचक गालियां देते हुए कहने लगे कि चमारिन साली तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम आबादी की जमीन पर खड़न्जा लगाओगी और परिवादिनी को बुरी तरह से मारने पीटने लगे। परिवादिनी अकेली थी तथा अपना बचाव करने के लिये चिल्लाने लगी। मारपीट के दौरान विपक्षीगण ने परिवादिनी की जेब मे रखा 200/–रूपये भी छीन लिया। परिवादिनी के चिल्लाने पर आस–पास के काफी लोग आने लगे। मौके पर लोगों को आता देखकर विपक्षीगण परिवादिनी को जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गये। परिवादिनी ने घटना की सूचना थाना महाराजगंज तराई पर दिया किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। थाने द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर सम्पूर्ण घटना की सूचना जरिये डाक रजि0 पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को दिया, कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थना पत्र 156(3) दं0प्र0सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय के आदेशानुसार उक्त मामला परिवाद के रूप मे दर्ज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी की ओर से परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 तथा गवाहान परशुराम पी0डब्लू0–1 व मुन्नालाल पी0डब्लू0–2 का बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 अंकित कराया गया।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में कहा गया है कि कुआर महीने में अपनी जमीन पर ईटा बिछा रही थी तक राजेन्द्र, बल्ले व ननकने आये और कहा कि यह जमीन उनकी है, इस पर ईंटा क्यों बिछा रही हो, और उसे मारा–पीटा, गाली दी, जातिसूचक शब्द चमार से अपमानित किया। परिवादिनी ने अपने 200 दं0प्र0सं0 के बयान में कहा कि उसके पति बचाने आये थे, बाकी डर कर भाग गये। मुल्जिमान जाते समय उसकी जेब से 500/– छीन ले गये। जबकि पी0डब्लू0–2 मुन्नालाल ने भी 202 दं0प्र0सं0 के बयान में कहा है कि विपक्षीगण ने सीतापति के जेब में रखा 500/–रूपया छीन लिया। जब परिवादिनी के अनुसार उसके पति के अतिरिक्त बाकी लोग पहले ही डरकर भाग गये थे तब मुल्जिमान/विपक्षीगण के जाते समय मुन्नालाल द्वारा यह देखा जाना विश्वसनीय नहीं है कि परिवादिनी के जेब से वे लोग 500/–रूपये निकाल ले गये। इसके अलावा परिवादिनी अपने प्रार्थना पत्र में 200 रूपये छीनने का तथ्य लिखती है जबकि बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में 500/–रूपये निकालने का, जो कि परस्पर विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी अपनी कमीज फाड़ दिये जाने का बयान देती है जबकि पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 परिवादिनी की कमीज फाड़ने का कोई साक्ष्य नहीं देते हैं। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा दाखिल प्रपत्रों एवं बयानों से विपक्षीगण राजेन्द्र, बल्ले व ननकने के विरूद्ध प्रथम दृष्टया **धारा 323, 504** भारतीय दण्ड संहिता व धारा **3 (1)(ध)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उपरोक्त विपक्षीगण उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण राजेन्द्र, बल्ले व ननकने अन्तर्गत धारा **323, 504** भारतीय दण्ड संहिता व धारा **(1)(ध)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में विचारण हेतु बजरिये सम्मन दिनांक 25.08.2022 नियत कर आहूत किये जावे। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 25.08.2022 को पेश हो।

दिनांक 18.07.2022

(विनोद कुमार–V)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.07.18 17:18:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court